राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	136/2005 ग्यारसी देवी बनाम ओमप्रकाश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/10/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 16/10/2025 को पेश हो।	
16/10/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीयां/अपीलार्थीयां ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत इस्तकरारहक़ दुरुस्ती रिकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की सुनवाई कर अपने निर्णय दिनांक 01/12/2005 पारित करते हुये प्रार्थीयां का प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ में से एक भी बिन्दु अपने हक़ में साबित करने में असफल रहना, धारित करते हुये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीयां द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी मौखिक बहस की। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस में उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों का विवेचन/परिक्षण कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण हेतु आवश्यक तीनो बिन्दुओ क्रमशः प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति को विस्तृत रूप से विवेचित कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे कोई त्रुटी जाहिर नही होती है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थीगण अपील के स्तर पर भी प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01/12/2005 में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	